तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज बंशीधर रामदेव बनाम लो.सू.अ. (जिला रसद अधिकारी, प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 59/2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.05.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी बंशीधर रामदेव पुत्र सत्यनारायण रामदेव पता बनावतों की गली, जालप मोहल्ला, तहसील जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.01.2018 में उसके द्वारा (1) प्रार्थी की दुकान संख्या 23/117/बी जो बंशीधर रामदेव के नाम आपके विभाग द्वारा जारी की गई, उसकी सम्पूर्ण पत्रावली मय दस्तावेज व 3 अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी, प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी आज अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष(जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 534 दिनांक 07.05.18 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया गया कि प्रार्थी द्वारा चाही सूचना के संबंध में प्राधिकार पत्र एवं उसे आबंटित दुकान के वांछित रिकॉर्ड पुराना होने से रिकॉर्ड ढूंढा जा रहा है अतः सूचना दिये जाने में थोड़ा और समय लग सकता है। चूंकि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.01.18 से विचाराधीन है आज भी रिकॉर्ड ढूंढा जाना बताया गया, द्वितीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को किसी प्रकार से सूचित भी नहीं किया जा रहा है जो खेदजनक है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी प्रथम, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गयां।	

Scanned with CamScanner